राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 06.08.2015

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, वित्त एवं लेखा निदेशालय, जयपुर।

विषयः- भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभों के हस्तांतरण (DBT) हेतु सीडिंग कार्य के संबंध में।

महोदय,

कलक्टर कान्फ्रेन्स दिनांक 22-23.07.2015 में माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राजकीय योजनाओं के नगद व गैर-नगद लाभों के हस्तांतरण (DBT) 01 सितम्बर,2015 से भामाशाह योजना प्लेटफार्म के माध्यम से करने के लिये जिलों में नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व खाद्य सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सूचनाओं के संकलन हेतु सर्वे व सीडिंग का कार्य करवाया जा रहा है।

भामाशाह योजना प्लेटफार्म के माध्यम से लाभों के हस्तांतरण (DBT) हेतु विभागीय लाभार्थियों से सूचनाओं के भामाशाह पोर्टल पर सीडिंग के सम्बन्ध में सूचना प्रौद्यौगिकी एवं संचार विभाग के पत्र क्रमांकः F5(493) DoIT/Tech/11/I/33490/2015 दिनांक 17.06.2015 द्वारा जिला अधिकारियों को विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये है। कतिपय जिलों से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कुछ विभागों द्वारा स्वंय के विभागीय सॉफ्टवेयर पर सीडिंग हेतु जिला अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये है, जिससे सीडिंग से संबंधित अधिकारियों /कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति के साथ-साथ समय व साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है।

अतः आपसे आग्रह है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूचना सीडिंग का कार्य केवल राजकाम्प द्वारा इसी उददेश्य हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर पर भामाशाह पोर्टल पर ही करवाया जाये ताकि सीडिंग कार्य के साथ ही विभागीय डेटाबेस का भामाशाह डेटाहब से एकरूपीकरण करते हुये 01 सितम्बर से भामाशाह योजना प्लेटफार्म से लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

कृपया इस सम्बन्ध में आपके विभाग के स्तर से भी स्पष्ट निर्देश जारी कराने का श्रम करें ताकि सीडिंग के सम्बन्ध में भ्रम व दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 06.08.2015

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. समस्त उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जिला.....
3. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला.....
4. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान सरकार।
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी।
6. समस्त विकास अधिकारी/तहसीलदार।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग